पत्रांक : 07–सू०प्रा०–29 / 2012.....

बिहार सरकार

सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विषयः– संचार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारतनेट (पूर्व में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN)) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये राईट ऑफ वे (RoW) से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा के एडेन्डम हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में।

[Regarding approval for signing an addendum to the tripartite memorandum of understanding (MoU) related to the right of way (RoW) granted by the state government in connection with BharatNet (formerly National Fibre Optical Network–NOFN) established by Ministry of Communication, Government of India.]

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध–सरकारी पत्र सं०–16-04/2012-EIP दिनांक 02.05.2012 द्वारा यह सूचित किया गया कि देश के सभी पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्यों में पंचायत स्तर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने की योजना तथा NOFN के कार्यान्वयन का दायित्व विशेष कार्य एजेन्सी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि० को सौंपा गया। केन्द्र सरकार के द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि पंचायत स्तर तक Optical Fibre बिछाये जाने की योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा Right of Way (RoW) अधिभार प्रदान करने के साथ–साथ प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा पर राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं०–287 दिनांक 05.03.2013 के द्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्थापित नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा राईट ऑफ वे (RoW) प्रदान किये जाने एवं इससे संबंधित त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा (दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, बीबीएनएल एवं राज्य सरकार) को हस्ताक्षरित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. विदित हो कि विभागीय संकल्प सं०–2222 दिनांक 27.11.2023 के द्वारा भारतनेट परियोजना के तहत राज्य के भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते हुए ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी गाँव तक पहुँचाने के उद्देश्य से मौजूदा त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा के एडेन्डम हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया गया।

3. इसी क्रम में संयुक्त सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने अर्द्ध–सरकारी पत्र सं०–5–1/2025-UBB दिनांक 04.06.2025 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 99% नेटवर्क अपटाइम सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना के तहत अंतरराष्ट्रीय मानक की कैरियर–ग्रेड नेटवर्क संरचना, रिंग टोपोलॉजी तथा नवीनतम IP-MPLS प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, ग्राम / पंचायत स्तर पर विद्यालयों, पुलिस थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, डाकघरों, स्वास्थ्य केंद्रों, सहकारी संस्थाओं, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) आदि शासकीय संस्थानों के साथ–साथ व्यक्तिगत आवासों तक 'फाइबर टू द होम (FTTH)' कनेक्शन उपलब्ध कराने का भी उद्देश्य है।

क्रमशः 2/–

उक्त हेतु संचार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारतनेट (पूर्व में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN)) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये राईट ऑफ वे (RoW) से संबंधित हस्ताक्षरित मौजूदा त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा के पैरा संख्या 6.2 से 6.8 तक को संशोधित कर पैरा 6.2 से 6.10 के रूप में समाहित कर एडेन्डम हस्ताक्षरित करने का अनुरोध दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया गया है, जो निम्नवत् है :–

6.2 राईट ऑफ वे (RoW) :–

भारतनेट परियोजना को दूरसंचार (राईट ऑफ वे) नियम, 2024 के नियम 12 के उप–नियम (1) के अंतर्गत विशेष परियोजना के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसका संदर्भ सं० 24–01/2024–UBB दिनांक 01.01.2025 है।

इस आलोक में दूरसंचार (राईट ऑफ वे) नियम, 2024 के उप–नियम 12 के अनुरूप भारतनेट परियोजना हेतु लोक अस्तित्व (public entity) राईट ऑफ वे प्रदान करेंगे तथा इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क, उपयोग शुल्क, किराया, वार्षिकी, क्षतिपूर्ति, बैंक गारंटी या अन्य किसी भी प्रकार का वित्तीय योगदान चाहे वह भारतनेट की स्थापना, संचालन एवं मेंटेनेंस अथवा परियोजना स्थल के पुनर्स्थापन से संबंधित हो अध्यारोपित नहीं किया जायेगा।

(नोटः–"लोक अस्तित्व" शब्द दूरसंचार अधिनियम, 2023 में परिभाषित है और वही अर्थ यहां भी लागू होगा।)

6.3 स्थल एवं पहुंच (Space and Accessibility) :–

6.3.1 राज्य सरकार ग्राम पंचायत भवन या कोई अन्य सरकारी भवन में भारतनेट परियोजना के उपकरणों की स्थापना एवं संचालन हेतु उचित रख–रखाव सहित उपयुक्त इनडोर स्थान निःशुल्क उपलब्ध कराएगी।

जहां आउटडोर रैक में उपकरण स्थापित करने हेतु पहुंच संबंधी समस्या के कारण बाहरी स्थान की आवश्यकता होगी, वहां ग्राम पंचायत भवन परिसर या किसी अन्य सरकारी भवन परिसर में निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

6.3.2 जहां भी नेटवर्क उपकरण स्थापित होंगे, वहां भारतनेट पीएमए (PMA) को संचालन एवं मेंटेनेन्स हेतु राज्य सरकार के द्वारा 24 × 7 निर्बाध पहुंच प्रदान की जाएगी।

6.4 अभिरक्षा (Custodianship) :–

जिस ग्राम पंचायत भवन या सरकारी भवन में नेटवर्क उपकरण स्थापित किये गये हैं, उस भवन के प्रभारी अधिकारी को स्थापित नेटवर्क उपकरणों की Custodian नियुक्त किया जाएगा तथा वे उपकरणों की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी होंगे एवं उनके Custodianship में मौजूद नेटवर्क परिसंपत्तियों की सूची का संधारण करेंगे। उपरोक्त Custodian आग, बाढ़ इत्यादि आपदाओं की स्थिति में BSNL द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निवारक (Preventive Care) देखभाल भी सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः 3/–

अवर सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं०–5–1/2025-UBB दिनांक 15.10.2025 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि उपकरणों की Custodianship केवल एहतियाती (precautionary) तौर पर संबंधित भवनों के प्रभारी अधिकारी को दिया गया है, जबकि उपकरणों के रखरखाव एवं मेंटेनेंस की सम्पूर्ण जिम्मेदारी BSNL एवं परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (PIA) की होगी। यह पत्र Annexure-'A' के रूप में एडेन्डम का अभिन्न भाग होगा।

6.5 विद्युत कनेक्शन :–

6.5.1 राज्य सरकार नेटवर्क उपकरणों हेतु तय मासिक शुल्क के आधार पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराएगी। यह शुल्क उपकरणों की भार क्षमता एवं ग्रामीण/औद्योगिक/ विशेष विद्युत दरों में से जो न्यूनतम होगा, उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस हेतु भारतनेट प्रोजेक्ट मैनेंजमेंट एजेंसी एवं संबंधित Discoms के मध्य एक समझौता किया जाएगा।

6.5.2 डिस्कॉम्स के माध्यम से नेटवर्क उपकरणों हेतु बिना किसी पूंजीगत लागत के विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, एक बार विद्युत मीटर शुल्क भारतनेट परियोजना के अंतर्गत वहन किया जाएगा। विद्युत की अधिकाधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्मार्ट मीटर सहित विद्युत कनेक्शन आवेदन की तिथि से 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन ग्राम/ग्राम पंचायत में वर्तमान में विद्युत उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य द्वारा समयबद्ध रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

6.5.3 भारतनेट पीएमए एक आवेदन के माध्यम से अनेक स्थलों के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए आवश्यक प्रावधान Discoms/राज्य एजेंसी द्वारा किए जाएंगे।

6.5.4 सभी विद्युत कनेक्शनों के लिए नियत मासिक शुल्क (6.5.1 के अनुसार) के अनुरूप केंद्रीकृत बिल राज्य एजेंसी/डिस्कॉम्स द्वारा जारी किया जाएगा। भारतनेट पीएमए द्वारा केंद्रीकृत भुगतान किया जाएगा। इस हेतु आवश्यक प्रावधान संबंधित Discoms/राज्य एजेंसी द्वारा किए जाएंगे।

6.6 विद्युत अवसंरचना का उपयोग :–

6.6.1 विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निर्मित/स्वामित्व वाली ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (OPGW) नेटवर्क से 6 से 8 फाइबर भारतनेट नेटवर्क हेतु इंटरनेट लीज लाईन बैकहॉल कनेक्टिविटी में रिडंडेंसी (Redundancy) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बी0एस0एन0एल0 को उपलब्धता के आधार पर निःशुल्क अथवा वास्तविक लागत पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

6.6.2 गैर–ग्राम पंचायत ग्रामों (Non-GP Villages) को जोड़ने हेतु राज्य या उसके Discoms द्वारा maintain की जा रही ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (OPGW) का उपयोग ग्राम से भारतनेट रिंग के निकटतम टैपिंग प्वाइंट तक किया जा सकेगा।

6.7 अन्य विकास एजेंसियों द्वारा क्षति :–

राज्य सरकार सभी खुदाई कार्य करने वाली एजेंसियों को निर्देशित करेगा कि वे किसी भी प्रकार की खुदाई करने से पूर्व दूरसंचार विभाग (DoT) के "कॉल बिफोर यू डिग (CBuD)" ऐप के माध्यम से जानकारी दर्ज करें, ताकि खुदाई के दौरान परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु आवश्यक एहतियाती उपाय किया जा सके। भारतनेट पीएमए भी किसी भी प्रकार की खुदाई प्रारंभ करने से पूर्व CBuD ऐप का उपयोग करेंगे।

क्रमशः 4/–

6.8 भारतनेट का उपयोग :—

6.8.1 राज्य सरकार के द्वारा संबंधित विभागों एवं जिला अधिकारियों को आवश्यक/उपयुक्त निर्देश जारी किया जाएगा, साथ—ही—साथ सभी सरकारी संस्थाओं यथा विद्यालय, आंगनवाड़ी, पुलिस स्टेशन, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत कार्यालय आदि को भारतनेट परियोजना के माध्यम से FTTH कनेक्शन हेतु प्रोत्साहित करते हुए निदेश जारी किया जाएगा, क्योंकि सरकारी संस्थानों में FTTH कनेक्शन की उपलब्धता ई—गवर्नेंस के माध्यम से सामाजिक सेवाओं की बेहतर आपूर्ति में सहायक सिद्ध होगी।

6.8.2 राज्य सरकार के द्वारा सरकारी संस्थानों के लिए FTTH कनेक्शनों के मासिक शुल्क के नियमित भुगतान हेतु बजटीय प्रावधान करेगा।

6.8.3 राज्य सरकार के द्वारा ई—गवर्नेंस के माध्यम से सामाजिक सेवाओं के डिलिवरी हेतु संस्थानों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरण उपलब्ध कराएगा।

6.9 भारतनेट से संबंधित विषयों के प्रभावी समन्वय हेतु संबंधित विभागों (लोक निर्माण विभाग, उर्जा विभाग आदि) में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पैरा 6.2 से 6.8 में उल्लिखित प्रावधानों के संबंध में जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर से संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे।

6.10 राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत गठित स्थायी समितियां MoU/समझौते से संबंधित विषयों के समाधान में सहयोग करेगी। समितियों की संरचना में संलग्न है।

(i) राज्य ब्रॉडबैंड समिति (SBC) :— राज्य स्तर पर समिति के संयोजक, राईट ऑफ वे (RoW), विद्युत आपूर्ति, एक्सेस संबंधी मुद्दा, उपकरणों की सुरक्षा, संचालन एवं मेंटनेंस (O&M), उपयोग, ऑप्टिकल फाईबर केबल क्षति एवं अन्य संबंधित विषयों से जुड़े मानकों का एजेंडा प्रस्तुत करेंगे। दूरसंचार विभाग (DoT) के संबंधित लाइसेंस सेवा क्षेत्र (LSA) संयोजक होगें।

(ii) जिला स्तरीय दूरसंचार समिति (DLTC) :— समिति के संयोजक, जिला संबंधी मुद्दों जैसेः—संचालन एवं मेंटनेंस (O&M), उपयोग, राईट ऑफ वे (RoW), विद्युत आपूर्ति, एक्सेस संबंधी मुद्दा, उपकरणों की सुरक्षा तथा अन्य संबंधित विषयों को बैठकों में एजेंडा के रूप में प्रस्तुत करेंगे। संबंधित जिले के बीएसएनएल प्रमुख बैठक के संयोजक होंगे।

4. वर्णित स्थिति में संचार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारतनेट (पूर्व में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN)) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये राईट ऑफ वे (RoW) से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा के एडेन्डम हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

5. उक्त संकल्प को दिनांक 12.08.2026 को मद संख्या—5 के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

क्रमशः .....5/—

ज्ञापांक: 07—सू०प्रा०—29/2012 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष संस्करण में प्रकाशित करने के लिए। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियां मुद्रित करें तथा इस विभाग को उपलब्ध कराएं।

ह०/—
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: 07—सू०प्रा०—29/2012 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः— मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: 07—सू०प्रा०—29/2012 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः— सचिव, पंचायती राज विभाग/सचिव, ऊर्जा विभाग मुख्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: 07—सू०प्रा०—29/2012 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः— सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: 07—सू०प्रा०—29/2012 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः— सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: 07—सू०प्रा०—29/2012 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: 07—सू०प्रा०—29/2012 1646 पटना, दिनांक 17/8/26

प्रतिलिपिः— आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा सभी विभागों को e-mail के माध्यम से भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/26
सरकार के सचिव।